न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः– 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

सूचक	श्री अशोक कुमार, स0अ0नि0 उत्पाद थाना, जिला–शेखपुरा।
सूचक के विद्वान अधिवक्ता	श्री अरविंद कुमार, विशेष लोक अभियोजक, शेखपुरा।
अभियुक्त	(1) बिजेन्द्र बिन्द, चन्दिरक बिन्द, उम्र–45 वर्ष, साकिन–राजोपुर, थाना–चेवाड़ा, जिला–शेखपुरा।
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री शैलेन्द्र कुमार।

FORM B

घटना की तिथि	23.10.2018
अभियोजन दर्ज करने की तिथि	23.10.2018
आरोप गठन की तिथि	09.07.2019
गवाही आरंभ की तिथि	26.09.2019
निर्णय निर्धारण की तिथि	26.02.2026
निर्णय की तिथि	**10.03.2026**
सजा की तिथि	–––

अभियुक्त का विवरणः–

क्रम सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	आरोप गठन की धारा	बरी या सजा	निर्धारित सजा	विचारण के दौरान धारा 428 द0 प्र0 सं0 के तहत नरजबंद
1.	बिजेन्द्र बिन्द	18.02.2019	18.02.2019 (अग्रिम जमानत)	बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(a)		–––	–––––

FORM C
अभियोजन साक्षी

क्रम सं0	नाम
साक्षी संख्या 1	बब्लु पासवान
साक्षी संख्या 2	विकास कुमार
साक्षी संख्या 3	शिवेन्द्र कुमार
साक्षी संख्या 4	अशोक कुमार (सूचक सह अनुसंधानकर्ता)

FORM D
प्रतिरक्षा साक्षी

क्रम	नाम
–	–

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः— 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

FORM E
प्रतिरक्षा साक्षी

क्रम	नाम
—	—
—	—

परिवादी / प्रतिरक्षा / न्यायालय प्रदर्श की सूची

अभियोजन पक्ष

क्रम	प्रदर्श
1.	साक्षी सं0—01 ने अभियोग सह जप्ती सूची पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श—**"01"**
2.	साक्षी सं0—02 ने अभियोग सह जप्ती सूची पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श—**"1/1"**
3.	साक्षी सं0—03 ने जांच प्रतिवेदन बतायेनुसार सिपाही संजुला कुमारी के द्वारा लिखी गयी, जिस पर अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श—**"2"**
4.	साक्षी सं0—04 ने जप्ती सूची का लिखावट एवं हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श—**"P1/2/PW-4"**
5.	साक्षी सं0—04 ने अभियोजन प्रतिवेदन का लिखावट एवं हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श—**"P3/PW-4"**

B प्रतिरक्षा पक्ष

C वस्तु प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श

नि र्ण य

(1) उपरोक्त नामांकित अभियुक्त बिजेन्द्र बिन्द के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के अंतर्गत राजोपुर गॉव स्थित सड़क किनारे अर्द्धनिर्मित फुस का कमरा का तलाशी के क्रम में एक प्लास्टिक का जरकीन में 03 लीटर चुलाई शराब बरामद हुआ था, के आरोपित अपराध के लिये विचारण किया गया है।

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः— 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

(2) संक्षेप में, सूचक के अभियोजन प्रतिवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद इस प्रकार है कि गुप्त सूचना के आधार पर अधीक्षक उत्पाद शेखपुरा को सूचनार्थ करते हुये अपने अधीनस्थ कर्मियों और प्रतिनियुक्त गृहरक्षकों एवं सैप बल के साथ कॉलम 02 में अंकित व्यक्तियों के अवैध चुलाई शराब के बिक्री केन्द्र पर छापामारी की गयी। छापामारी दल को देखते दूरी का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। कॉलम 03 से कॉलम 05 तक में अंकित अवैध चुलाई शराब बरामद हुआ। सारी कानूनी कार्रवाई स्वतंत्र गवाह के सामने एवं उपस्थित रहते विधिवत पूरी कर ली गयी तदनोपरांत मुख्यालय के लिये प्रस्थान किया।

(3). सूचक के अभियोजन प्रतिवेदन के आधार पर उत्पाद सं0—80/2018, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(a) के अंतर्गत दिनांक 23.10.2018 को वाद संस्थित किया गया एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान की समाप्ति पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(a) के अंतर्गत आरोप पत्र एवं जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

(4). विद्वान न्यायालय द्वारा अभियोजन प्रतिवेदन एवं अन्य कागजातों के अवलोकन करने के उपरान्त उपरोक्त नामित अभियुक्त के बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(a) के अंतर्गत दिनांक 07.05.2019 को संज्ञान लिया गया।

(5). उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 09.07.2019 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(a) के अंतर्गत आरोप गठित किया गया, जिसे अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने अपने उपर लगाये गये आरोप से इंकार किया एवं विचारण का दावा किया।

(6). अभियोजन साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान दिनांक 19.01.2024 को दं0 प्र0 सं0 की धारा 313 के तहत लिया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं निर्दोष होने का अभिवाक् किया।

(7). विद्वान न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सभी युक्ति—युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा अथवा नहीं ?

<u>मं त व्य</u>

(8). अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गये आरोप को साबित करने के लिए चार मौखिक साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जो निम्न प्रकार हैः——

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः– 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

1. अभियोजन साक्षी सं0–1 बब्लु पासवान
2. अभियोजन साक्षी सं0–2 विकास कुमार
3. अभियोजन साक्षी सं0–3 शिवेन्द्र कुमार
4. अभियोजन साक्षी सं0–4 अशोक कुमार (सूचक सह अनुसंधानकर्ता)

(A) **<u>दस्तावेजी साक्ष्य :–</u>** इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य हैं :–

(i) साक्षी सं0–01 ने अभियोग सह जप्ती सूची पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श**–"01"**

(ii) साक्षी सं0–02 ने अभियोग सह जप्ती सूची पर गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"1/1"**

(iii) साक्षी सं0–03 ने जांच प्रतिवेदन बतायेनुसार सिपाही संजुला कुमारी के द्वारा लिखी गयी, जिस पर अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"2"**

(iv) साक्षी सं0–04 ने जप्ती सूची का लिखावट एवं हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"P1/2/PW-4"**

(iv) साक्षी सं0–04 ने अभियोजन प्रतिवेदन का लिखावट एवं हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"P3/PW-4"**

(B). इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से अपने सफाई में किसी भी प्रकार का मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है।

(9). बहस सुना। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन अपना मामला एवं अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्त दोषमुक्ति के लायक हैं, जबकि अभियोजन ने पूरजोर विरोध करते हुए दलीलें दी है कि अभियोजन अपना मामला को युक्ति–युक्त संदेहों से परे रहकर सिद्ध करने एवं अकाट्य साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त दोष–सिद्धि के लायक हैं। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि अभियोजन ने चार मौखिक साक्षियों को परीक्षित कराये हैं। साथ ही अभियोजन सह जप्ती सूची, जांच प्रतिवेदन इत्यादी को प्रदर्श कराये हैं, जबकि बचाव पक्ष के ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य एवं दस्तावेजीय साक्ष्य का गुण–दोष का सुक्ष्म विश्लेषण करना न्यायोचित समझता हूँ।

(10). तथाकथित घटना के बिन्दु पर अभियोजन साक्षी सं0–04 अशोक कुमार हैं, जो कि इस वाद के सूचक सह अनुसंधानकर्ता हैं। इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 23.10.2018 को 02:20 बजे अपराहन की है। उस दिन अवर निरीक्षक उत्पाद शिवेन्द्र कुमार, उत्पाद सिपाही बबलू पासवान, प्रतिनियुक्त सैफ बल एवं गृहरक्षकों के साथ

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः— 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

राजोपुर गये थे। गुप्त सूचना के आधार पर राजोपर गॉव में बिजेन्द्र केवट के यहॉ छापामारी किया गया। विधिवत छापामारी के क्रम में एक प्लास्टिक के जरकीन में 03 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किये। अभियुक्त दूरी का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सारी कानूनी कार्यवाही घटना स्थल पर की गयी। यह वही जप्ती सूची है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूँ इसे प्रदर्श—P1/2/PW4 अंकित किया जाता है। उसके बाद जप्त प्रदर्श के साथ थाना वापस आ गये। उसके बाद इस काण्ड का अनुसंधान का भार ग्रहण किये। अनुसंधान के क्रम में जप्त प्रदर्श का जॉच कराये। जॉच में अवैध शराब पाया गया था। यह वही जॉच प्रतिवेदन है जो मुझे अनुसंधान के क्रम में मिला था जिसे मैं पहचानता हूँ, इसे पूर्व में प्रदर्श—P2 अंकित किया गया है। काण्ड को सत्य पाते हुए अभियुक्त बिजेन्द्र केवट के विरूद्ध धारा 30ए बिहार मद्यनिषेध अधिनियम के तहत अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। यह वही अभियोजन प्रतिवेदन है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूँ इसे प्रदर्श—P3/PW4 अंकित किया जाता है। साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि गुप्त सूचना उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय में मिला था। करीब डेढ़ बजे गुप्त सूचना मिला था। सूचना मिलने के समय मैं उत्पाद कार्यालय में था। सूचना मिलने के बाद उत्पाद कार्यालय से लगभग पौने दो बजे प्रस्थान किये थे। हमलोग विभाग के प्राईवेट गाड़ी से निकले थे। हमलोग 20—22 की संख्या में गये थे। दो तीन गाड़ी से गये थे। उत्पाद थाना से घटनास्थल की दूरी 12—13 कि.मी. होगा। मुझें अभियुक्त का घर पहले से नहीं पता था। हमलोगों को पहुॅचने के बाद घटनास्थल पर कोई नहीं था। गॉव के ढलाई सड़क के पश्चिम तरफ अर्द्धनिर्मित पलानी से शराब बरामद हुआ था। पलानी का लम्बाई चौड़ाई नहीं बता सकता। पलानी में एक ही कमरा था। घटना स्थल का चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीनों तरफ परती जमीन है और पूरब में ढलाई सड़क है। अभियोजन प्रतिवेदन में घटनास्थल का चौहदी का उल्लेख नहीं है। जप्त जरकीन का क्षमता कितना था नहीं बता सकता। अंदाज से जप्त शराब को तीन लीटर लिखा है। हमलोग जिस समय पलानी के पास गये थे उस समय पलानी में कोई व्यक्ति नहीं था। घटनास्थल पर कितना समय लगा मुझें याद नहीं है। मेरे द्वारा शराब बरामद किया गया था। जप्त प्रदर्श को जॉच कराने हेतु माननीय न्यायालय से अनुमति लिया था, किन्तु अभिलेख पर संलग्न नहीं है। अवर निरीक्षक शिवेन्द्र कुमार के द्वारा मुझें जॉच प्रतिवेदन मिला था, किन्तु अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित नहीं है। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है।

(11). अभियोजन साक्षी सं0—01 बब्लु पासवान हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 23.10.2018 को 02:30 बजे अपराह्न की है। उक्त तिथि को मैं गुप्त सूचना के आधार पर सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार, उत्पाद सिपाही विकास कुमार, सैफ जवान एवं गृहरक्षक बल के साथ राजोपुर गॉव पहुॅचे। सड़क किनारे अर्द्धनिर्मित (पलानी) फुस का बना हुआ कमरा में विधिवत तलाशी ली गयी। तलाशी के क्रम में एक प्लास्टिक के जरकीन

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः— 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

में 03 लीटर चुलाई शराब पाया गया। अगल—बगल के लोगों से पूछ—ताछ करने पर बताया गया कि उक्त स्थान विजेन्द्र बिन्द का है। घटनास्थल से अभियुक्त फरार पाया गया। उक्त शराब को जप्त किया गया और अभियोग—सह—जप्ती सूची घटना स्थल पर तैयार किया गया जिस पर मेरा गवाह के रूप में हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श—1 अंकित किया जाता है। साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मैं अपनेकार्यालय से छापामारी के लिए 01 बजे दिन में चला था। थाना से घटना स्थल की दूरी कितना किलो मीटर है मैं नहीं बता सकता। पलानी के आस—पास घर था। पलानी से घर की दूरी कितना था, मैं नहीं बता सकता। पलानी में कोई आदमी नहीं था। पलानी कितना लम्बा—चौड़ा में बना था, मैं नहीं बता सकता। घटनास्थल पर अगल—बगल के लोगों को बुलाये थे, लेकिन कोई नहीं आये थे। घटनास्थल पर हमलोग लगभग आधा घंटा रूके थे। मुझें नहीं पता है कि पलानी का पता किसने बताया। जप्ती सूची घटनास्थल पर तैयार किया गया। मैं हस्ताक्षर करने से पहले जप्ती सूची को नहीं पढ़ा था। जप्ती सूची में कुल कितना कॉलम है मैं नहीं बता सकता। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है।

(12). अभियोजन साक्षी सं0—02 विकास कुमार हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 23.10.2018 को 02:30 बजे अपराह्न की है। उक्त तिथि को मैं गुप्त सूचना के आधार पर सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार, उत्पाद सिपाही बबलू कुमार, सैफ जवान एवं गृहरक्षक बल के साथ राजोपुर गॉव पहुँचे। सड़क किनारे अर्द्धनिर्मित फुस का झोपड़ी का विधिवत तलाशी ली गयी। तलाशी के क्रम में एक प्लास्टिक के जरकीन में 03 लीटर चुलाई शराब पाया गया। अगल—बगल के लोगों से पूछ—ताछ करने पर बताया गया कि उक्त स्थान विजेन्द्र बिन्द का है। घटनास्थल से अभियुक्त फरार पाया गया। उक्त शराब को जप्त किया गया और अभियोग—सह—जप्ती सूची घटनास्थल पर तैयार किया गया जिस पर मेरा गवाह के रूप में हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श—1/1 अंकित किया जाता है। साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ग्रामीणों ने बताया कि यह झोपड़ी विजेन्द्र बिन्द का है। घटनास्थल के अगल—बगल में ग्रामीण लोग थे। घटनास्थल पर ग्रामीण लोग 100 मीटर की दूरी पर थे। छापामारी के क्रम में ग्रामीणों को बुलाये थे। छापामारी के क्रम में कितने ग्रामीण लोग आये थे, मुझे नहीं पता है। घटनास्थल के अगल—बगल में खेत और घर था। अगल—बगल में किन—किन लोगों का घर था, मैं नहीं बता सकता। जप्त जरकीन किस रंग का था और कितना लीटर का था मुझें याद नहीं है। पलानी कितना लम्बा—चौड़ा में फैला हुआ था मुझें नहीं पता है। जप्ती सूची सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार के द्वारा 02:30 बजे अपराह्न में घटनास्थल पर तैयार किया गया। मैं जप्ती सूची पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ा था। जप्ती सूची में कुल कितना कॉलम है और उसमें क्या—क्या लिखा है, मैं नहीं बता सकता। जप्ती सूची

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः— 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

तैयार करते समय अभियुक्त के किसी परिवार को बुलाया गया या नहीं मुझे याद नहीं है। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है।

(13). अभियोजन साक्षी सं0—03 शिवेन्द्र कुमार हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 02.11.2018 को मैं अवर निरीक्षक उत्पाद च0 दल शेखपुरा में पदस्थापित थे। उक्त तिथि को चलिसनु दल शेखपुरा थाना कांड संख्या— 80/18 दिनांक 23.10.2018 को जप्त महुआ शराब के नमूना के जॉच हेतु अधीक्षक उत्पाद, शेखपुरा के द्वारा जप्त नमूना सीलबंद प्रदर्श प्राप्त हुआ। जिसे मेरे द्वारा जॉच किया गया। जॉचोपरांत जप्त महुआ शराब ''चुलाई शराब'' पाया गया जिसमें सुषव शक्ति 81.7^0 यू0पी0 पाया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन मेरे बतायेनुसार महिला उत्पाद सिपाही संजुला कुमारी के द्वारा लिखी गयी जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श—2 अंकित किया जाता है। साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जप्त प्रदर्श के नमूना के जॉच दिनांक 02.11.2018 को मेरे द्वारा किया गया। मैं जप्त प्रदर्श के नमूना का जॉच अपने कार्यालय में किया। मैं यांत्रिक विधि से जप्त प्रदर्श के नमूने की जॉच किया। जप्त वस्तु प्रदर्श का सुषव शक्ति 81.7 यू0पी0 पानी है और शेष 19.3 यू0पी0 सुषव शक्ति है। मेरे कार्यालय में रासायनिक जॉच के उपकरण नहीं है। यदि शराब का जॉच रासायनिक विधि से या यांत्रिक विधि से किया जाय तो परिणाम सामान आयेगा। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है।

(14.) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कथन किये हैं कि अभियोजन साक्षी सं0—04 अशोक कुमार हैं, जो कि इस वाद के सूचक सह अनुसंधानकर्ता है। जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है कि गुप्त सूचना उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय में मिला था। करीब डेढ़ बजे गुप्त सूचना मिला था। सूचना मिलने के समय मैं उत्पाद कार्यालय में था। सूचना मिलने के बाद उत्पाद कार्यालय से लगभग पौने दो बजे प्रस्थान किये थे। हमलोग विभाग के प्राईवेट गाड़ी से निकले थे। हमलोग 20—22 की संख्या में गये थे। दो तीन गाड़ी से गये थे। उत्पाद थाना से घटनास्थल की दूरी 12—13 कि.मी. होगा। मुझें अभियुक्त का घर पहले से नहीं पता था। हमलोगों को पहुँचने के बाद घटनास्थल पर कोई नहीं था। गॉव के ढलाई सड़क के पश्चिम तरफ अर्द्धनिर्मित पलानी से शराब बरामद हुआ था। पलानी का लम्बाई चौड़ाई नहीं बता सकता। पलानी में एक ही कमरा था। घटना स्थल का चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीनों तरफ परती जमीन है और पूरब में ढलाई सड़क है। अभियोजन प्रतिवेदन में घ ाटनास्थल का चौहदी का उल्लेख नहीं है। जप्त जरकीन का क्षमता कितना था नहीं बता सकता। अंदाज से जप्त शराब को तीन लीटर लिखा है। हमलोग जिस समय पलानी के पास गये थे उस समय पलानी में कोई व्यक्ति नहीं था। घटनास्थल पर कितना समय लगा मुझें याद

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः– 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

नहीं है। मेरे द्वारा शराब बरामद किया गया था। जप्त प्रदर्श को जॉच कराने हेतु माननीय न्यायालय से अनुमति लिया था, किन्तु अभिलेख पर संलग्न नहीं है। अवर निरीक्षक शिवेन्द्र कुमार के द्वारा मुझें जॉच प्रतिवेदन मिला था, किन्तु अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित नहीं है। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी सं0–01 बब्लु पासवान है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है कि मैं अपने कार्यालय से छापामारी के लिए 01 बजे दिन में चला था। थाना से घटना स्थल की दूरी कितना किलो मीटर है मैं नहीं बता सकता। पलानी के आस–पास घर था। पलानी से घर की दूरी कितना था, मैं नहीं बता सकता। पलानी में कोई आदमी नहीं था। पलानी कितना लम्बा–चौड़ा में बना था, मैं नहीं बता सकता। घटनास्थल पर अगल–बगल के लोगों को बुलाये थे, लेकिन कोई नहीं आये थे। घ ाटनास्थल पर हमलोग लगभग आधा घंटा रूके थे। मुझें नहीं पता है कि पलानी का पता किसने बताया। जप्ती सूची घटनास्थल पर तैयार किया गया। मैं हस्ताक्षर करने से पहले जप्ती सूची को नहीं पढ़ा था। जप्ती सूची में कुल कितना कॉलम है मैं नहीं बता सकता। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी सं0–2 विकास कुमार हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है कि ग्रामीणों ने बताया कि यह झोपड़ी विजेन्द्र बिन्द का है। घटनास्थल के अगल–बगल में ग्रामीण लोग थे। घटनास्थल पर ग्रामीण लोग 100 मीटर की दूरी पर थे। छापामारी के क्रम में ग्रामीणों को बुलाये थे। छापामारी के क्रम में कितने ग्रामीण लोग आये थे, मुझे नहीं पता है। घटनास्थल के अगल–बगल में खेत और घर था। अगल–बगल में किन–किन लोगों का घर था, मैं नहीं बता सकता। जप्त जरकीन किस रंग का था और कितना लीटर का था मुझें याद नहीं है। पलानी कितना लम्बा–चौड़ा में फैला हुआ था मुझें नहीं पता है। जप्ती सूची सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार के द्वारा 02:30 बजे अपराह्न में घटनास्थल पर तैयार किया गया। मैं जप्ती सूची पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ा था। जप्ती सूची में कुल कितना कॉलम है और उसमें क्या–क्या लिखा है, मैं नहीं बता सकता। जप्ती सूची तैयार करते समय अभियुक्त के किसी परिवार को बुलाया गया या नहीं मुझे याद नहीं है। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी सं0–03 शिवेन्द्र कुमार हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है कि जप्त प्रदर्श के नमूना के जॉच दिनांक 02.11.2018 को मेरे द्वारा किया गया। मैं जप्त प्रदर्श के नमूना का जॉच अपने कार्यालय में किया। मैं यांत्रिक विधि से जप्त प्रदर्श के नमूने की जॉच किया। जप्त वस्तु प्रदर्श का सुषव शक्ति 81.7 यू0पी0 पानी है और शेष 19.3 यू0पी0 सुषव शक्ति है। मेरे कार्यालय में रासायनिक जॉच के उपकरण नहीं है। यदि शराब का जॉच रासायनिक विधि से या यांत्रिक विधि से किया जाय तो परिणाम सामान आयेगा। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष का कथन है कि उपरोक्त प्रदर्शों तथा अभियोजन साक्षी के अभिसाक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन अपना मामला को साबित करने में असफल रहे हैं, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाय।

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः— 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

(15). जबकि अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियेाजक ने अपने बहस के दौरान कथन किया है कि उपरोक्त अभियोजन साक्षी सं0—04 अशोक कुमार हैं, जो कि इस वाद के सूचक सह अनुसंधानकर्ता है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 23.10.2018 को 02:20 बजे अपराहन की है। उस दिन अवर निरीक्षक उत्पाद शिवेन्द्र कुमार, उत्पाद सिपाही बबलू पासवान, प्रतिनियुक्त सैफ बल एवं गृहरक्षकों के साथ राजोपुर गये थे। गुप्त सूचना के आधार पर राजोपर गॉव में बिजेन्द्र केवट के यहॉ छापामारी किया गया। विधिवत छापामारी के क्रम में एक प्लास्टिक के जरकीन में 03 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किये। अभियुक्त दूरी का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सारी कानूनी कार्यवाही घटना स्थल पर की गयी। यह वही जप्ती सूची है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूॅ इसे प्रदर्श—P1/2/PW4 अंकित किया जाता है। उसके बाद जप्त प्रदर्श के साथ थाना वापस आ गये। उसके बाद इस काण्ड का अनुसंधान का भार ग्रहण किये। अनुसंधान के क्रम में जप्त प्रदर्श का जॉच कराये। जॉच में अवैध शराब पाया गया था। यह वही जॉच प्रतिवेदन है जो मुझे अनुसंधान के क्रम में मिला था जिसे मैं पहचानता हूॅ, इसे पूर्व में प्रदर्श—P2 अंकित किया गया है। काण्ड को सत्य पाते हुए अभियुक्त बिजेन्द्र केवट के विरूद्ध धारा 30ए बिहार मद्यनिषेध अधिनियम के तहत अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। यह वही अभियोजन प्रतिवेदन है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूॅ इसे प्रदर्श—P3/PW4 अंकित किया जाता है। अभियोजन साक्षी सं0—01 बब्लु पासवान हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 23.10.2018 को 02:30 बजे अपराह्न की है। उक्त तिथि को मैं गुप्त सूचना के आधार पर सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार, उत्पाद सिपाही विकास कुमार, सैफ जवान एवं गृहरक्षक बल के साथ राजोपुर गॉव पहुॅचे। सड़क किनारे अर्द्धनिर्मित (पलानी) फुस का बना हुआ कमरा में विधिवत तलाशी ली गयी। तलाशी के क्रम में एक प्लास्टिक के जरकीन में 03 लीटर चुलाई शराब पाया गया। अगल—बगल के लोगों से पूछ—ताछ करने पर बताया गया कि उक्त स्थान विजेन्द्र बिन्द का है। घटनास्थल से अभियुक्त फरार पाया गया। उक्त शराब को जप्त किया गया और अभियोग—सह—जप्ती सूची घ ाटना स्थल पर तैयार किया गया जिस पर मेरा गवाह के रूप में हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूॅ, इसे प्रदर्श—1 अंकित किया जाता है। अभियोजन साक्षी सं0—02 विकास कुमार हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 23.10.2018 को 02:30 बजे अपराह्न की है। उक्त तिथि को मैं गुप्त सूचना के आधार पर सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार, उत्पाद सिपाही बबलू कुमार, सैफ जवान एवं गृहरक्षक बल के साथ राजोपुर गॉव पहुॅचे। सड़क किनारे अर्द्धनिर्मित फुस का झोपड़ी का विधिवत तलाशी ली गयी। तलाशी के क्रम में एक प्लास्टिक के जरकीन में 03 लीटर चुलाई शराब पाया गया। अगल—बगल के लोगों से पूछ—ताछ करने पर बताया गया कि उक्त स्थान विजेन्द्र बिन्द का है। घटनास्थल से अभियुक्त फरार पाया गया। उक्त शराब को जप्त किया गया और अभियोग—सह—जप्ती सूची घटनास्थल पर तैयार किया गया जिस पर मेरा गवाह के रूप में हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूॅ, इसे प्रदर्श—1/1 अंकित

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः— 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

किया जाता है। अभियोजन साक्षी सं0—03 शिवेन्द्र कुमार हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 02.11.2018 को मैं अवर निरीक्षक उत्पाद च0 दल शेखपुरा में पदस्थापित थे। उक्त तिथि को चलिसनु दल शेखपुरा थाना कांड संख्या— 80/18 दिनांक 23.10.2018 को जप्त महुआ शराब के नमूना के जॉच हेतु अधीक्षक उत्पाद, शेखपुरा के द्वारा जप्त नमूना सीलबंद प्रदर्श प्राप्त हुआ। जिसे मेरे द्वारा जॉच किया गया। जॉचोपरांत जप्त महुआ शराब ''चुलाई शराब'' पाया गया जिसमें सुषव शक्ति 81.7^0 यू0पी0 पाया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन मेरे बतायेनुसार महिला उत्पाद सिपाही संजुला कुमारी के द्वारा लिखी गयी जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श—2 अंकित किया जाता है। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का तर्क है कि इस मौखिक साक्षियों के साक्ष्य एवं प्रदर्शों से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्त दोषसिद्धि के लायक हैं।

(16). उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि तथाकथित घटना के बिन्दु पर अभियोजन साक्षी सं0—04 अशोक कुमार हैं, जो कि इस वाद के सूचक सह अनुसंधानकर्ता हैं। इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 23.10.2018 को 02:20 बजे अपराहन की है। उस दिन अवर निरीक्षक उत्पाद शिवेन्द्र कुमार, उत्पाद सिपाही बबलू पासवान, प्रतिनियुक्त सैफ बल एवं गृहरक्षकों के साथ राजोपुर गये थे। गुप्त सूचना के आधार पर राजोपर गॉव में बिजेन्द्र केवट के यहॉ छापामारी किया गया। विधिवत छापामारी के क्रम में एक प्लास्टिक के जरकीन में 03 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किये। अभियुक्त दूरी का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सारी कानूनी कार्यवाही घटना स्थल पर की गयी। यह वही जप्ती सूची है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूँ इसे प्रदर्श—P1/2/PW4 अंकित किया जाता है। उसके बाद जप्त प्रदर्श के साथ थाना वापस आ गये। उसके बाद इस काण्ड का अनुसंधान का भार ग्रहण किये। अनुसंधान के क्रम में जप्त प्रदर्श का जॉच कराये। जॉच में अवैध शराब पाया गया था। यह वही जॉच प्रतिवेदन है जो मुझे अनुसंधान के क्रम में मिला था जिसे मैं पहचानता हूँ, इसे पूर्व में प्रदर्श—P2 अंकित किया गया है। काण्ड को सत्य पाते हुए अभियुक्त बिजेन्द्र केवट के विरूद्ध धारा 30ए बिहार मद्यनिषेध अधिनियम के तहत अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। यह वही अभियोजन प्रतिवेदन है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूँ इसे प्रदर्श—P3/PW4 अंकित किया जाता है। परंतु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि गुप्त सूचना उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय में मिला था। करीब डेढ़ बजे गुप्त सूचना मिला था। सूचना मिलने के समय मैं उत्पाद कार्यालय में था। सूचना मिलने के बाद उत्पाद कार्यालय से लगभग पौने दो बजे प्रस्थान किये थे। हमलोग विभाग के प्राईवेट गाड़ी से निकले थे। हमलोग 20—22 की संख्या में गये थे। दो तीन गाड़ी से गये थे। उत्पाद थाना से घटनास्थल की दूरी 12—13 कि.मी. होगा। मुझें अभियुक्त का घर पहले

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः– 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

से नहीं पता था। हमलोगों को पहुॅचने के बाद घटनास्थल पर कोई नहीं था। गॉव के ढलाई सड़क के पश्चिम तरफ अर्द्धनिर्मित पलानी से शराब बरामद हुआ था। पलानी का लम्बाई चौड़ाई नहीं बता सकता। पलानी में एक ही कमरा था। घटना स्थल का चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीनों तरफ परती जमीन है और पूरब में ढलाई सड़क है। अभियोजन प्रतिवेदन में घ ाटनास्थल का चौहदी का उल्लेख नहीं है। जप्त जरकीन का क्षमता कितना था नहीं बता सकता। अंदाज से जप्त शराब को तीन लीटर लिखा है। हमलोग जिस समय पलानी के पास गये थे उस समय पलानी में कोई व्यक्ति नहीं था। घटनास्थल पर कितना समय लगा मुझें याद नहीं है। मेरे द्वारा शराब बरामद किया गया था। जप्त प्रदर्श को जॉच कराने हेतु माननीय न्यायालय से अनुमति लिया था, किन्तु अभिलेख पर संलग्न नहीं है। अवर निरीक्षक शिवेन्द्र कुमार के द्वारा मुझें जॉच प्रतिवेदन मिला था, किन्तु अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित नहीं है। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी सं0–01 बब्लु पासवान हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 23.10.2018 को 02:30 बजे अपराह्न की है। उक्त तिथि को मैं गुप्त सूचना के आधार पर सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार, उत्पाद सिपाही विकास कुमार, सैफ जवान एवं गृहरक्षक बल के साथ राजोपुर गॉव पहुॅचे। सड़क किनारे अर्द्धनिर्मित (पलानी) फुस का बना हुआ कमरा में विधिवत तलाशी ली गयी। तलाशी के क्रम में एक प्लास्टिक के जरकीन में 03 लीटर चुलाई शराब पाया गया। अगल–बगल के लोगों से पूछ–ताछ करने पर बताया गया कि उक्त स्थान विजेन्द्र बिन्द का है। घटनास्थल से अभियुक्त फरार पाया गया। उक्त शराब को जप्त किया गया और अभियोग–सह–जप्ती सूची घटना स्थल पर तैयार किया गया जिस पर मेरा गवाह के रूप में हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूॅ, इसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है। परंतु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं अपने कार्यालय से छापामारी के लिए 01 बजे दिन में चला था। थाना से घटना स्थल की दूरी कितना किलो मीटर है मैं नहीं बता सकता। पलानी के आस–पास घर था। पलानी से घर की दूरी कितना था, मैं नहीं बता सकता। पलानी में कोई आदमी नहीं था। पलानी कितना लम्बा–चौड़ा में बना था, मैं नहीं बता सकता। घ ाटनास्थल पर अगल–बगल के लोगों को बुलाये थे, लेकिन कोई नहीं आये थे। घटनास्थल पर हमलोग लगभग आधा घंटा रूके थे। मुझें नहीं पता है कि पलानी का पता किसने बताया। जप्ती सूची घटनास्थल पर तैयार किया गया। मैं हस्ताक्षर करने से पहले जप्ती सूची को नहीं पढ़ा था। जप्ती सूची में कुल कितना कॉलम है मैं नहीं बता सकता। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी सं0–02 विकास कुमार हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना दिनांक 23.10.2018 को 02:30 बजे अपराह्न की है। उक्त तिथि को मैं गुप्त सूचना के आधार पर सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार, उत्पाद सिपाही बबलू कुमार, सैफ जवान एवं गृहरक्षक बल के साथ राजोपुर गॉव पहुॅचे। सड़क किनारे अर्द्धनिर्मित फुस का झोपड़ी का विधिवत तलाशी ली गयी। तलाशी के क्रम में एक प्लास्टिक के जरकीन में 03 लीटर चुलाई शराब पाया गया। अगल–बगल के लोगों से पूछ–ताछ करने पर

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः– 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

बताया गया कि उक्त स्थान विजेन्द्र बिन्द का है। घटनास्थल से अभियुक्त फरार पाया गया। उक्त शराब को जप्त किया गया और अभियोग–सह–जप्ती सूची घटनास्थल पर तैयार किया गया जिस पर मेरा गवाह के रूप में हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श–1/1 अंकित किया जाता है। परंतु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रामीणों ने बताया कि यह झोपड़ी विजेन्द्र बिन्द का है। घटनास्थल के अगल–बगल में ग्रामीण लोग थे। घ टनास्थल पर ग्रामीण लोग 100 मीटर की दूरी पर थे। छापामारी के क्रम में ग्रामीणों को बुलाये थे। छापामारी के क्रम में कितने ग्रामीण लोग आये थे, मुझे नहीं पता है। घटनास्थल के अगल–बगल में खेत और घर था। अगल– बगल में किन–किन लोगों का घर था, मैं नहीं बता सकता। जप्त जरकीन किस रंग का था और कितना लीटर का था मुझें याद नहीं है। पलानी कितना लम्बा–चौड़ा में फैला हुआ था मुझें नहीं पता है। जप्ती सूची सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार के द्वारा 02:30 बजे अपराह्न में घटनास्थल पर तैयार किया गया। मैं जप्ती सूची पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ा था। जप्ती सूची में कुल कितना कॉलम है और उसमें क्या–क्या लिखा है, मैं नहीं बता सकता। जप्ती सूची तैयार करते समय अभियुक्त के किसी परिवार को बुलाया गया या नहीं मुझे याद नहीं है। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी सं0–03 शिवेन्द्र कुमार हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 02.11.2018 को मैं अवर निरीक्षक उत्पाद च0 दल शेखपुरा में पदस्थापित थे। उक्त तिथि को चलिसनु दल शेखपुरा थाना कांड संख्या– 80/18 दिनांक 23.10.2018 को जप्त महुआ शराब के नमूना के जॉच हेतु अधीक्षक उत्पाद, शेखपुरा के द्वारा जप्त नमूना सीलबंद प्रदर्श प्राप्त हुआ। जिसे मेरे द्वारा जॉच किया गया। जॉचोपरांत जप्त महुआ शराब ''चुलाई शराब'' पाया गया जिसमें सुषव शक्ति 81.7^0 यू0पी0 पाया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन मेरे बतायेनुसार महिला उत्पाद सिपाही संजुला कुमारी के द्वारा लिखी गयी जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श–2 अंकित किया जाता है। परंतु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि जप्त प्रदर्श के नमूना के जॉच दिनांक 02.11.2018 को मेरे द्वारा किया गया। मैं जप्त प्रदर्श के नमूना का जॉच अपने कार्यालय में किया। मैं यांत्रिक विधि से जप्त प्रदर्श के नमूने की जॉच किया। जप्त वस्तु प्रदर्श का सुषव शक्ति 81.7 यू0पी0 पानी है और शेष 19.3 यू0पी0 सुषव शक्ति है। मेरे कार्यालय में रासायनिक जॉच के उपकरण नहीं है। यदि शराब का जॉच रासायनिक विधि से या यांत्रिक विधि से किया जाय तो परिणाम सामान आयेगा। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण एवं तर्को के आधार पर पाया जाता है कि कथित घटना घटित हुआ है, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त चार मौखिक साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य से घटना को साबित करने की कोशिश किये है, लेकिन अभियोजन

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः— 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

साक्षियों के परिसाक्ष्य में बताया है कि अभियोजन साक्षी सं0—04 अशोक कुमार हैं, जो कि इस वाद के सूचक सह अनुसंधानकर्ता है। जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है कि गुप्त सूचना उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय में मिला था। करीब डेढ़ बजे गुप्त सूचना मिला था। सूचना मिलने के समय मैं उत्पाद कार्यालय में था। सूचना मिलने के बाद उत्पाद कार्यालय से लगभग पौने दो बजे प्रस्थान किये थे। हमलोग विभाग के प्राईवेट गाड़ी से निकले थे। हमलोग 20—22 की संख्या में गये थे। दो तीन गाड़ी से गये थे। उत्पाद थाना से घटनास्थल की दूरी 12—13 कि. मी. होगा। मुझें अभियुक्त का घर पहले से नहीं पता था। हमलोगों को पहुॅचने के बाद घ ाटनास्थल पर कोई नहीं था। गॉव के ढलाई सड़क के पश्चिम तरफ अर्द्धनिर्मित पलानी से शराब बरामद हुआ था। पलानी का लम्बाई चौड़ाई नहीं बता सकता। पलानी में एक ही कमरा था। घटना स्थल का चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीनों तरफ परती जमीन है और पूरब में ढलाई सड़क है। अभियोजन प्रतिवेदन में घटनास्थल का चौहदी का उल्लेख नहीं है। जप्त जरकीन का क्षमता कितना था नहीं बता सकता। अंदाज से जप्त शराब को तीन लीटर लिखा है। हमलोग जिस समय पलानी के पास गये थे उस समय पलानी में कोई व्यक्ति नहीं था। घ ाटनास्थल पर कितना समय लगा मुझें याद नहीं है। मेरे द्वारा शराब बरामद किया गया था। जप्त प्रदर्श को जॉच कराने हेतु माननीय न्यायालय से अनुमति लिया था, किन्तु अभिलेख पर संलग्न नहीं है। अवर निरीक्षक शिवेन्द्र कुमार के द्वारा मुझें जॉच प्रतिवेदन मिला था, किन्तु अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित नहीं है। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी सं0—01 बब्लु पासवान है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है कि मैं अपने कार्यालय से छापामारी के लिए 01 बजे दिन में चला था। थाना से घटना स्थल की दूरी कितना किलो मीटर है मैं नहीं बता सकता। पलानी के आस—पास घर था। पलानी से घर की दूरी कितना था, मैं नहीं बता सकता। पलानी में कोई आदमी नहीं था। पलानी कितना लम्बा—चौड़ा में बना था, मैं नहीं बता सकता। घटनास्थल पर अगल—बगल के लोगों को बुलाये थे, लेकिन कोई नहीं आये थे। घटनास्थल पर हमलोग लगभग आधा घंटा रूके थे। मुझें नहीं पता है कि पलानी का पता किसने बताया। जप्ती सूची घटनास्थल पर तैयार किया गया। मैं हस्ताक्षर करने से पहले जप्ती सूची को नहीं पढ़ा था। जप्ती सूची में कुल कितना कॉलम है मैं नहीं बता सकता। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी सं0—2 विकास कुमार हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है कि ग्रामीणों ने बताया कि यह झोपड़ी विजेन्द्र बिन्द का है। घटनास्थल के अगल—बगल में ग्रामीण लोग थे। घटनास्थल पर ग्रामीण लोग 100 मीटर की दूरी पर थे। छापामारी के क्रम में ग्रामीणों को बुलाये थे। छापामारी के क्रम में कितने ग्रामीण लोग आये थे, मुझे नहीं पता है। घटनास्थल के अगल—बगल में खेत और घर था। अगल— बगल में किन—किन लोगों का घर था, मैं नहीं बता सकता। जप्त जरकीन किस रंग का था और कितना लीटर का था मुझें याद नहीं है। पलानी कितना लम्बा—चौड़ा में फैला हुआ था मुझें नहीं पता है। जप्ती सूची सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार के द्वारा 02:30 बजे अपराह्न में घटनास्थल पर तैयार किया गया। मैं जप्ती सूची पर

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः— 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।

हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ा था। जप्ती सूची में कुल कितना कॉलम है और उसमें क्या—क्या लिखा है, मैं नहीं बता सकता। जप्ती सूची तैयार करते समय अभियुक्त के किसी परिवार को बुलाया गया या नहीं मुझे याद नहीं है। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। अभियोजन साक्षी सं0—03 शिवेन्द्र कुमार हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया है कि जप्त प्रदर्श के नमूना के जॉच दिनांक 02.11.2018 को मेरे द्वारा किया गया। मैं जप्त प्रदर्श के नमूना का जॉच अपने कार्यालय में किया। मैं यांत्रिक विधि से जप्त प्रदर्श के नमूने की जॉच किया। जप्त वस्तु प्रदर्श का सुषव शक्ति 81.7 यू0पी0 पानी है और शेष 19.3 यू0पी0 सुषव शक्ति है। मेरे कार्यालय में रासायनिक जॉच के उपकरण नहीं है। यदि शराब का जॉच रासायनिक विधि से या यांत्रिक विधि से किया जाय तो परिणाम सामान आयेगा। साथ ही इस साक्षी ने बचावपक्ष के सुझावों से भी इंकार किया है। साथ ही विनिष्टीकरण प्रमाण पत्र का प्रदर्श नहीं कराया गया है। पुलिस द्वारा धारा 100 द0प्र0स0 का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्त के सचेत कब्जे से कोई भी शराब बरामद नहीं किया गया है। घटनास्थल किसका है इससे संबंधित किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं है। सभी साक्षियों के अभिसाक्ष्य में एक—दूसरे से विरोधाभास है। उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि मामले में संदेह उत्पन्न हो जाता है। अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(a) के आरोप को सभी युक्त—युक्त शंकाओं से परे साबित करने में असफल रहा है।

(17). अतः अभियुक्त बिजेन्द्र बिंद को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(a) के आरोप से संदेह के लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है तथा इन्हें तथा इनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से भी स्वतंत्र किया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित, खुले
न्यायालय में उद्घोषित।

(राकेश कुमार रजक)
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक—10.03.2026

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक—10.03.2026

Date of Judgement/Order	10-03-2026
Date Of Reserving Judgment/Order	10-03-2026
Uploading Date	19-03-2026
Uploaded by	Anjalee Ayyar

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
निर्णय की तिथिः— 10.03.2026
उत्पाद वाद सं0.-280/2018
बिहार राज्य बनाम् बिजेन्द्र बिन्द।